

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./08/डी-1028

दिनांक:-28.8.08

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 48 वी बैठक दिनांक: 22.08.08 को पूर्वान्ह 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं.	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		48:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 47वी बैठक दिनांक: 25.07.08 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 47वी बैठक दिनांक: 25.07.08 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2.	1	48:2	श्रीमती दिप्ती प्रकाश मंगल पत्नी डॉ. नरेन्द्र कुमार मंगल को खसरा नं. 19/207 ग्राम रामजीपुरा तहसील सांगानेर की अवाप्तशुदा भूमि में आवंटित भूखण्ड के बदले अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।	माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.8.2004 के अनुसरण में प्रकरण को समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया। चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत भूमि अवाप्त की जाकर भूमि का मुआवजा न्यायालय में जमा करवाया जा चुका है अतः प्रार्थियों का भूखण्ड आवंटन हेतु कोई क्लेम नहीं बनता है। अतः भूखण्ड आवंटन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	7	48:3	आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महात्मा गांधी नगर के सुविधा क्षेत्र की भूमि 836 वर्गगज को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, संजय नगर, अजमेर रोड को आवंटन बाबत।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय को प्रस्तावानुसार भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया।
4.	12	48:4	राणा राजपूत सेवा समिति को ग्राम बोयतावाला तहसील जयपुर में ख.नं. 55/1 रकबा 20 बीघा में से 5000	समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया।

निर्णय
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)

			वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	
5.	12	48:5	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र जयपुर के लिए ग्राम कानोता तहसील बस्सी में ख.नं. 624 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा में से 16185 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया कि संस्था से फण्ड, प्लान व प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जानकारी करें तथा संस्था को पूर्व में भूमि आवंटित होने अथवा न होने का शपथ-पत्र प्राप्त करें। प्रकरण स्थगित किया गया।
6.	1	48:5(1)	विजय नर्सरी शिक्षा समिति को मालवीय नगर योजना में 6400 वर्गगज (5351 वर्गमीटर) भूमि आवंटन का निर्णय भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 28.11.06 में लिया गया था लेकिन मौके पर भूमि का क्षेत्रफल 5476.28 व.मी. हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त बड़ा हुआ क्षेत्रफल 125.28 व.मी. के आवंटन के संबंध में।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर बड़े हुए क्षेत्रफल 125.28 वर्गमीटर का वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
7.	1	48:5(2)	भूखण्ड संख्या डी-173, मालवीय नगर में आवंटित भूखण्ड क्षेत्रफल 138.88 वर्गगज से बढ़कर 158.24 वर्गगज अर्थात् 19.36 वर्गगज अधिक क्षेत्रफल का आवंटन बाबत।	आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
8.	9	48:5(3)	श्रीमति शिवकान्ता शर्मा को जविप्रा कर्मचारी आवासीय योजना टीलावाला के भूखण्ड संख्या बी-18 एवं बी-19 के मध्य रिक्त खॉचा भूमि 7.5x21=157.50 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	पडौसी भूखण्डधारी से जानकारी कर यदि उनको कोई आपत्ति नहीं हो तो प्रार्थीयों को आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।
9.	9	48:5(4)	श्री रवि पालीवाल को भूखण्ड संख्या ई-11 योजना सैन्ट्रल स्पाइन कॉर्नर के बड़े हुये क्षेत्रफल 55.50 व.मी. के आवंटन बाबत।	आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
10.	10	48:5(5)	वन संरक्षक केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र (भारत सरकार), लखनउ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 829 दिनांक 24.7.08 के द्वारा अपेक्स हॉस्पिटल से जगतपुरा आर.ओ.बी. को जा रही	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

निम्न
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			160फीट रोड सीमा में आ रही 0.858 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रदान की है। जिसके क्रम में ग्राम लागडियावास तहसील जमवारामगढ के खसरा नम्बर 232/6 रकबा 0.858 है. भूमि वन विभाग को आवंटित किये जाने की स्वीकृति बाबत।	
11.	2	48:5(6)	रेफरेंस संख्या 30/1996 श्री नन्हें खां बनाम जविप्रा न्यायालय सदस्य अपीलार्थी अधिकरण, जविप्रा में दिये गये निर्णय की पालना के क्रम में।	माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में कच्ची बस्ती सर्वेधारी को 42000/-रूपये की दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	8	48:5(7)	जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना ग्राम गोविन्दपुरा/सांगानेर में पाकिस्तान से आये हिन्दू व्यक्तियों/परिवारों को भूखण्ड आवंटन कर पुर्नवास करने बाबत।	प्रस्तावानुसार आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि पर 19 व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन का निर्णय लिया गया।
13.	8	48:5(8)	सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगानेर न्यायालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत।	न्यायालय भवन हेतु 2000 वर्गमीटर तथा पार्किंग हेतु 900 वर्गमीटर भूमि का प्रस्तावानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
14.	9	48:5(9)	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय जेडीए कॉलोनी, गोविन्दपुरा, सांगानेर जिला जयपुर के नाम भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार 3380 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
15.	9	48:5(10)	राजकीय माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा को भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम चतरपुरा के खसरा नम्बर 150 व 151 की कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर भूमि स्कूल भवन तथा खेल मैदान हेतु निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया।
16.	5	48:5(11)	मार्डन एजुकेशन एण्ड कल्चरल सोसाईटी को जोन-5 के क्षेत्राधिकार में खुदाबादी सोनार गृ.नि.स.स.लि. की योजना पदमावती कॉलोनी द्वितीय के सुविधा क्षेत्र में आवंटित 1675.66 वर्गमीटर भूमि के पास स्थित सुविधा क्षेत्र की शेष भूमि क्षेत्रफल	प्रश्नगत भूमि सुविधा क्षेत्र में स्थित होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

विभा

			1734.90 वर्गमीटर शिक्षा कार्य के विस्तार हेतु आवंटन किये जाने की स्वीकृति बाबत।	
17.	12	48:5(12)	श्री बागडा ब्राह्मण समाज संगठन समिति जयपुर को ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के खसरा नम्बर 1770 व 1771 में 5000 वर्ग मीटर भूमि महिला एवं तकनीकी शिक्षा एवं जन उपयोगी कार्य हेतु आवंटन।	बागडा ब्राह्मण समाज द्वारा वांछित उद्देश्य के लिए 4000वर्गमीटर भूमि आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।
18.	10	48:5(13)	श्री लक्ष्मी शिक्षा समिति को ग्राम भावगढ़ बन्धा तहसील सांगानेर में 5000वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने बाबत।	श्री लक्ष्मी शिक्षा समिति को समिति की पात्रता के परीक्षण के अध्यक्षीन 5000वर्गमीटर भूमि भू-उपयोग रूपान्तरण की प्रत्याशा में आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

विष्णु

सदस्य सचिव

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, अध्यक्ष, जयपुर, जयपुर
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं विधायक (जौहरी बाजार), जयपुर।
- 3- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
- 4- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर
- 5- जिला प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
- 6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
- 7- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
- 8- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
- 9- प्रो० बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
- 10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
- 11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
- 12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 14- जिला कलक्टर, जयपुर

- 15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- 16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
- 17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
- 18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
- 19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
- 21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
- 22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
- 23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
- 25- रक्षित पत्रावली

विम

सदस्य सचिव


अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति-पत्रक

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 48वीं बैठक दिनांक 22.08.08 में उपस्थित रहे। जन-प्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	जन प्रतिनिधि/अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री अशोक जैन, आयुक्त, जविप्रा	अध्यक्ष
2.	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा. विधायक	सदस्य
3.	श्री राम निवास मीणा, सचिव, जविप्रा	सदस्य
4.	श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री कोमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त)	सदस्य
6.	श्री हरिशंकर भारद्वाज, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
7.	श्री नरेश कुमार शर्मा, अति. आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
8.	श्री विमल कुमार जैन, अतिरिक्त आयुक्त(एल.पी.सी.)	सदस्य सचिव
9.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड, उपायुक्त जोन-1	विशेष आमन्त्रित
10.	श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमन्त्रित
11.	श्री बी.डी.कुमावत, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमन्त्रित
12.	श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5	विशेष आमन्त्रित
13.	श्री राजपाल सिंह यादव, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमन्त्रित
14.	श्री एस.मित्रा, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमन्त्रित
15.	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमन्त्रित
16.	श्री एम.एल.गुप्ता, अति.निदेशक (भूमि एवं राजस्व)	विशेष आमन्त्रित
17.	श्री नवरतन कोहली, तहसीलदार जोन-10	विशेष आमन्त्रित


अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर